पत्र सं0-2/2016/97/26-2-2016-100(02)/2007

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2016

विषयः- कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 (Direct Benifite Transfer) के लाभार्थियों के सामान्य खातों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के बैंक खातों में रूपान्तरण (Conversion) के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कल्याणकारी योजनाओं यथा-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को इनके सी0बी0एस0 बैंक खातों में ई-पेंमेंट के माध्यम से विभाग से सीधे पेंशन की धनराशि डी0बी0टी0 (Direct Benifite Transfer) के तहत अंतरित की जा रही है। भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण मिशन, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-आई-11011/147/2015-डी0बी0टी0 दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर-2 व 3 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-F.No.6/41/2012-FI(Vol.VI)(C-80077217) दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के पैरा-2 में यह व्यवस्था दी गयी है कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 (Direct Benifite Transfer) के लाभार्थियों के प्रधानमंत्री जन-धन योजना PMJDY के अन्तर्गत खोले जाने वाले खातों के साथ-साथ उक्त सुविधा पूर्व से खुले खातों से सम्बन्धित उन लाभार्थियों के लिए भी अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा सम्बन्धित बैंक शाखा में निर्धारित प्रारूप पर उनके सामान्य खातों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों में रूपान्तरण (Conversion) करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 के निर्देशानुसार कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों में रूपान्तरण किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 तथा 26 नवम्बर, 2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा है कि अपने स्तर पर इसकी गहन समीक्षा करते हुए कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला कल्याण व विकलांग कल्याण की उक्तानुसार पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के सामान्य खातों, जिनमें ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा रही है, को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों में रूपान्तरण (Conversion) कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भारत सरकार की उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

कृपया उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 2/2016/97(1)/26-2-2016/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला कल्याण कल्याण/विकलांग कल्याण, उ0प्र0।
2. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण कल्याण/विकलांग कल्याण, उ0प्र0 को तत्सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय, उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

157

F. No. 6/41/2012-FI (Vol.VI) (C-60077217)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
****

Jeevandeep Building, 3rd Floor, Sansad Marg,
New Delhi, Dated the 26th November, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of DBT programme in scholarship and social welfare schemes- Meeting held on 28.10.2015- reg-

The undersigned is directed to refer to D.O. No. M-12014/2/2015-MGNREGA-V dated 13.11.2015 from Joint Secretary (MGNREGA, SAGY & Rurban) , Deptt. of Rural Development, MoRD on the subject cited above and to inform as under :-

2. As regard conversion of the existing MGNREGA workers accounts in Banks into PMJDY accounts , it is clarified that the following facilities as available in the accounts opened under PMJDY would also be applicable to existing accounts subject to submission of an application by the account holder to the concerned bank branch:

(i) For issuance of RuPay Debit Card having inbuilt accident insurance cover of Rs. 1 lakh;

(ii) For an overdraft facility of Rs.5000/- after satisfactory operations in the account

However, the benefits of Rs.30,000/- life insurance cover are available only to those whose accounts are opened for the first time between 15.08.2014 to 26.01.2015 .

3. The customers can enrol for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) @Rs.12/- annual premium to get one year personal accident insurance scheme, renewable from year to year, offering coverage for Rs. two lakh for death or permanent total disability and Rs. one lakh for permanent partial disability due to an accident and is available to people in the age group of 18 to 70 years having a bank account, who give their consent to join and enable auto-debit from their bank accounts. Similarly, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) has a @Rs.330/-

annual premium, renewable from year to year, offering coverage of Rs. two lakh for death due to any reason and is available to people in the age group of 18 to 50 years (life cover up to age 55 on payment of premium after enrolment up to age 50 years) having a bank account, who give their consent to join and enable auto-debit from their bank accounts.

(Govind Ram)
Under Secretary to the Government of India (FI)
Tel: 23382134
e-mail: govind.r@nic.in

Joint Secretary (MGNREGA, SAGY & Rurban)
(Ms. Aparajita Sarangi)
Deptt. of Rural Development,
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhawan, New Delhi

No. I-11011/147/2015-DBT
Government of India / भारत सरकार
Cabinet Secretariat / मंत्रिमंडल सचिवालय
DBT Mission / प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन

4th Floor, Shivaji Stadium Annexe,
Rajiv Chowk, New Delhi – 110001.

Dated: 30th December 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Conversion of normal bank accounts of beneficiaries of welfare schemes, under DBT, into PMJDY bank accounts – Reg.

As you are aware, for bringing unbanked population under banking system, the Government is facilitating opening of accounts in Public Sector Banks under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY).

2. Under Direct Benefit Transfer (DBT) in social welfare schemes, the benefits are transferred to bank accounts of the beneficiaries' which may not be PMJDY accounts. There is a general consensus that for maintaining uniformity, the benefits available to the bank account holders under PMJDY should also be given to the beneficiaries' of welfare scheme having normal bank account.

3. Department of Rural Development made a reference to Department of Financial Services on conversion of normal bank accounts of beneficiaries of MGNREGS into PMJDY accounts. Department of Financial Services **vide O.M No. 6/41/2012-FI (Vol.VI) (C-80077217) dated 26.11.2015** (Copy enclosed) clarified that the certain facilities available to the accounts opened under PMJDY would also be applicable to existing accounts under DBT subject to submission of an application by the account holder to the concerned bank branch. Further, in pursuance of decision taken in CoS meeting dated 9.12.2015, DFS has agreed to prescribe a standard format in which the application for conversion of DBT normal bank accounts to PMJDY account can be made to the banks.

4. In view of the above, the Ministries/Departments are requested to initiate action for **conversion of normal bank accounts of beneficiaries used for DBT** under welfare schemes into bank account under PMJDY, as per procedure prescribed in Para 2 of above cited DFS OM.

(Peeyush Kumar)
Joint Secretary (DBT)
Tel No. 23343860 Extn. 333

Encl. a/a

To,

1. Secretaries of all Ministries/Departments of Govt. of India
2. Administrator/Chief Secretaries of all States/UTs

[illegible] का नाम

वित्तीय समावेशन खाता खोलने का फार्म

सं. _____ दिनांक _____

फोटो

[illegible]

[illegible] का नाम	
गाँव / शहर	
[illegible] / खाता धारक का नाम	
जिला	
राज्य	
[illegible] कोड / डाक सं.	
[illegible] / शहर कोड	
[illegible] की जनगणना के अनुसार)	गाँव / शहर का नाम (2011 की जनगणना के अनुसार)

आवेदक के ब्यौरे

पूरा नाम	श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रथम	मध्यम / अंतिम
[illegible] स्थिति		लिंग	पुरुष / महिला
पिता का नाम / पति / माता का नाम			
पता			
[illegible] कोड			
टेलीफोन एवं मोबाइल सं.		जन्मतिथि	दिन / माह / वर्ष
आधार / ई आई डी सं.		पैन सं.	
मतदाता पहचान कार्ड सं.			
पेशा / व्यवसाय			
वार्षिक आय			
सदस्यों की संख्या			
सदस्यों के ब्यौरे	अपना घर हां / नहीं पहुँच की सड़क	अपना शौचालय हां / नहीं यदि अन्य	
परिवार के सदस्यों / परिवार के नाम पर बैंक खाता	हां / नहीं	यदि हां बैंक खाता सं. _____	
किसान क्रेडिट कार्ड	क्या पास है हां / नहीं		

[illegible] के मुद्दे पर [illegible] क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए

[illegible] अनुरोध है कि मेरी सामाजिक / पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए 5000/- रु. की सीमा तक ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत करें। मुझे ज्ञात है कि खाते के 6 माह के सतोषजनक परिचालन के पश्चात मैं ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हूँ तथा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे घर के किसी अन्य सदस्य ने ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं ली हुई है। मैं इस संबंध में बैंक की सभी शर्तों एवं नियमों के पूर्णतः सहमत हूँ।

घोषणा

मैं बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। सभी शर्तों एवं नियमों को मुझे समझा दिया गया है और मुझे मेरे द्वारा समझ लिया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे किसी अन्य बैंक में ओवरड्राफ्ट का खाता सुविधा नहीं ली है।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर / चिह्न / बाएं अंगूठे का निशान

मैं निम्न को नामांकित करना चाहता / चाहती हूँ।

नामांकिती का नाम	संबंध	आयु	अल्पवयस्क यदि अवयस्क है	संरक्षक / अल्पवयस्क (वयस्क) की मृत्यु होने पर, नामांकिती के अवयस्क होने की स्थिति में, नामांकिती की जगह जमा राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।